

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3(i)
PART II—Section 3(i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 1979/पौष 14, 1900
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 1979/PAUSA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1979

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 10(अ).—केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (अतिरिक्त महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 199/71-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 दिसम्बर, 1971 में निम्नीलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट 1 में क्रम सं. 31 और उससे सम्बन्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"32	10	भट्टी तेल
"33	11क	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस"

[अधिसूचना सं. 9/79-के. उ. शु. फा. सं. 71/20/78 के. उ. शु. 2]

टी. वी. साईराम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/71-Central Excises, dated the 11th December, 1971, namely :—

In Appendix I to the said notification, after Serial Number 31 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"32	10	Furnace Oil
33	11A	Liquefied Petroleum Gas "

[Notification No. 9/79-CE. F. No. 71/20/78-CX. 2]

T. V. SAIRAM, Under Secy.